मूल्य 1 रूपया

# कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66 | जनवरी, 2021 | अंक 01 | कुल पृष्ठ 8

मैं आपको और आपके परिवार को
नए साल २०२१ की
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं
देना चाहता हूं। मेरी कामना है कि
नया साल २०२१ महामारी मुक्त हो
ताकि सब लोग फिर से अपने सामान्य,
स्वस्थ जीवन और कारोबार
की ओर अग्रसर हों।
समय की मांग है कि हम सब
अपने निजी स्वास्थ्य
के साथ-साथ प्रकृति मां को भी अपने
दैनिक जीवन का अभिन्न और
महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं।
सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें
और खुश रहें।

शुभकामनाओं के साथ।

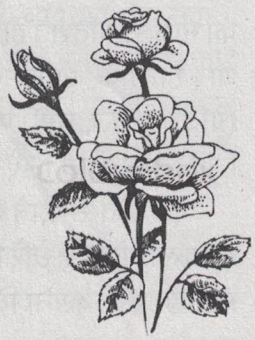

अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष
भारत कृषक समाज

# कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020

**"एपीएमसी बाईपास विधेयक 2020"**
**संदर्भ**

संगठित और संसाधन सम्पन्न बाजार के सामने किसान हमेशा से कमज़ोर रहा है। इस ग़ैर बराबरी को कम करने के इरादे से कृषि उपज विपणन समिति या एपीएमसी मंडियों की स्थापना की गई थी। इसके बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ ख़ासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो हालत काफ़ी ख़राब बनी हुई है। नया क़ानून किसानों के सामने पहले के छोटे कारोबारियों की जगह बड़ी कम्पनियों को खड़ा करने वाला है जिससे किसान बाजार के सामने और भी कमज़ोर हो जाएंगे। पहले वाली कड़ी पाबंदी वाली व्यवस्था (जिसका मक़सद था किसानों के हितों की रक्षा करना पर दुर्भाग्यवश वह नाकाम हो गई) को हटाकर एक खुली और बेलगाम व्यवस्था एक वहशी छलांग है जिसमें किसानों के हितों और उनकी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यहाँ इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि एपीएमसी के क़ानून में किसानों पर नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं था। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की कुल कृषि व्यापार का मात्र 35 प्रतिशत ही इन मंडियों के द्वारा होता था। हालांकि, एपीएमसी मूल्य और अन्य मुद्दों (ग्रेडिंग, तौल, नमी) पर सामूहिक मोलभाव के लिए किसानों के लिए जगह प्रदान करता है।

एक बात समझने की यह है कि अपराध को दूर करने के लिए सारे नियंत्रण हटा देना उचित नहीं है। ऐसा करना किसानों के हितों के साथ खुली नाइंसाफ़ी और ग़ैर ज़िम्मेदाराना हरकत है। यह भी समझना ज़रूरी है कि किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के कई और कारण भी हैं जैसे, आढ़तियों पर कर्ज़ के लिए निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण विदेशों में मिलने वाली सब्सिडी सस्ते उत्पादों का आयात करके देश के बाज़ार में भर देना आदि। एक बड़ा कारण यह भी है कि स्थानीय प्रशासन भी किसानों की पहुँच में नहीं है फिर केंद्र सरकार के उपसचिव जैसे अधिकारी तक उनकी समस्याओं की जानकारी कैसे पहुँच पाएगी।

खाद्य योजनाओं के लिए खरीद के अलावा सरकार को मूल्य की जानकारी मंडियों से मिलती है, और बाज़ारों में सरकार का हस्तक्षेप उसी पर निर्भर करता है। मंडी के व्यापारी स्पॉट एक्सचेंज से कीमतों का अंदाज़ा लगाते हैं।

एक केंद्र सरकार का क़ानून लाने का मनगढ़ंत कारण यह बताया जा रहा है कि राज्य सरकारें केंद्र के आदर्श क़ानूनों को सही ढंग से नहीं लागू करवा रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि, भारत सरकार के आदर्श क़ानून में 2003 के बाद से लगातार फेर बदल किए गए हैं। एक सच्चाई यह भी है कि बिहार जैसे राज्यों ने बाज़ार को अनियंत्रित कर दिया पर वहाँ के किसानों की स्थिति में सुधार की जगह और भी गिरावट आई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और एपीएमसी बाईपास क़ानून को जोड़कर देखने पर समझ में आता है कि इनसे किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होने वाला है।

**नए क़ानून में मौजूद ज़मीनी सच्चाई की अनदेखी, कमज़ोरियों अस्पष्टता**

- पहले व्यापारियों के आपसी ख़रीद–बिक्री पर यह मानकर नियंत्रित नहीं किया गया कि किसान के उत्पाद नहीं हैं, पर अब उन्हें भी बिना किसी आधार के शामिल किया जा रहा है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों के उत्पाद (*Sec.*2(*a*)) और किसानों के अनुसूचित उत्पाद (2 (*j*)) की अलग परिभाषाएँ क्यों शामिल की गई हैं जबकि इसका उद्देश्य बाजार को नियंत्रण–मुक्त करना है। पर राज्यों के एपीएमसी अधिनियम में एक ही श्रेणी का ज़िक्र है।
- *Sec.* 2(*d*) में किसान को परिभाषित करते हुए कहा गया है, "एक व्यक्ति जो खुद से, या मजदूरों से या किसी अन्य तरीके से कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है।" इस परिभाषा में एफपीओ को भी शामिल किया गया है जबकि अधिकतर मामलों में एफपीओ उत्पादन का हिस्सा नहीं होते।
- एफपीओ को मौजूदा कारोबारियों और विशाल कम्पनियों के समकक्ष रखा गया है और बाज़ार क्षेत्र में उनसे उत्पादों की ख़रीद–बिक्री में प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह बात समझ नहीं आती कि एफपीओ अपने शुरुआती दौर में हैं और उन्हें ढंग से अपने पैरों पर खड़े होने में सरकारी मदद की ज़रूरत है, फिर उन पर इतने सारे नियंत्रण क्यों? यह भी अस्पष्ट है कि किसी ऐसे सार्वभौमिक संस्थान में, जहाँ फैसले किसानों की राय पर लिए जाते हैं, सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण क्यों ज़रूरी है।
- केंद्र सरकार निगरानी की अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ना चाहती है क्योंकि वह सभी कृषि उत्पादों के सभी कारोबारियों के पंजीकरण की सिफारिश नहीं करना चाहती।
- पूरी शिकायत निवारण व्यवस्था केवल इस बात पर केंद्रित है कि 'समय पर भुगतान हुआ या नहीं।' इसका भी सबूत सिर्फ डिलिवरी की रसीद को मान लिया गया है। शिकायत निवारण का आधार बस यही रसीद है – (व्यापार क्षेत्र में) कितने किसानों को यह रसीद मिल पाएगी?
- बिना बिचौलियों के अंतर्राज्यीय व्यापार कैसे होगा, वह भी बिना उत्पाद के सैम्पल की जाँच किए। फिर अंतर्राज्यीय व्यापार में उसी दिन भुगतान कैसे किया जा सकेगा?
- किसानों के शोषण को केवल कीमत की अदायगी तक ही सीमित करके देखा जा रहा है, मूल्य निर्धारण में किसानों की कमज़ोर स्थिति को इसका हिस्सा नहीं माना जा रहा है। दरअसल, बाज़ार में किसानों का शोषण इनके अलावा कई और ढंग से भी होता है जैसे, उत्पाद की गुणवत्ता, नापतोल में घपलेबाज़ी, आदि।
- कानून में कहा गया है कि 'केंद्र सरकार बाज़ार की जानकारी व्यवस्था बना सकती है।' बिना इस व्यवस्था के क्या सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती है? पर एक सवाल यह भी है कि क्या वह हस्तक्षेप करना भी चाहती है?
- भारत में *e-NAM* जैसे ऑनलाइन व्यापार मौजूदा कृषि मंडियों के आधार पर ही चल रहे हैं, वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। अगर पर्याप्त व्यापार के अभाव में

ये मंडियाँ समाप्त हो गईं तो ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म क्या चल पाएँगे?

- विखंडित बाज़ार – कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपस में जुड़े नहीं हैं, फिर कोई एक दाम कैसे निर्धारित होगा? विखंडित बाज़ार एकाधिकार को सुनिश्चित करते हैं।
- विखंडित नियंत्रण व्यवस्थाएँ किसानों को और भी ज़्यादा ग़ैरबराबरी का सामना करने के लिए मजबूर करेंगी।

दरअसल यह पुरानी व्यवस्था को ही मंडियों के बाहर स्थापित करने की मुहिम है। अब वो लोग जो व्यापार के लिए ज़रूरी सभी साजोसामान से लैस हैं, कुशल मैनेजरों की फौज जिनके पास है, अथाह पूँजी है, वे आढ़तियों की जगह लेने वाले हैं और एक ऐसे बाज़ार में जहाँ किसी तरह की कोई निगरानी नहीं होगी, कोई सरकारी या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा। दो तरह की बाज़ार व्यवस्था एक व्यापक विनाश का द्वार है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

## मंडी के बाहर के व्यापार और कारोबार को अपराध-मुक्त बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए

सरकार द्वारा अतिशय सुरक्षा और अतिशय खुलेपन के बीच किसानों को झुलाना सही नहीं है। दोनों ही स्थिति में किसान के हित मारे जाते हैं। हमें लाइसेंस राज नहीं चाहिए, पर हमारे इर्द–गिर्द एक सुरक्षा कवच तो चाहिए। वे सुरक्षा कवच ये हैं –

- किसानों को लाभकारी मूल्य एक सुरक्षा कवच है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों का अधिकार होना चाहिए। किसानों के इस अधिकार को सरकार की ज़िम्मेदारी होना चाहिए और यह कई नियमों की मदद से सम्भव है। इसलिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में किसी भी व्यापार को खत्म कर देना चाहिए – न तो किसान को नुकसान होना चाहिए और न ही व्यापारी को।
- **सभी ख़रीद–बिक्री की निगरानी की जाए** – यह एपीएमसी के साथ कई अन्य एजेंसियों की मदद से किया जा सकता है। कुछ खास वस्तुओं के लिए विशेष अधिकारियों को लगाया जा सकता है। फ़ार्मगेट खरीद के लिए ग्राम पंचायतों को ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है। इन लोगों द्वारा व्यापार से जुड़े आँकड़ों को जमा कराया जा सकता है जैसे, तारीख, मात्रा, विक्रेता, खरीदार, मूल्य और गुणवत्ता आदि। सभी व्यापारियों/खरीदारों को पंजीकृत किया जाए। यह लाइसेंस राज नहीं है। यह कहना काफी नहीं है कि पैन कार्ड अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि एक "ऑनलाइन रजिस्टर" को मेंटेन किया जाए। सभी कारोबारी पक्षों का पंजीकरण हो और जहाँ तक हो सके

हर खरीद–बिक्री की अधिकतम जानकारी दर्ज की जाए। विभिन्न एजेंसियों की मदद से निगरानी की व्यवस्था हो। ज़रूरत हो तो विशिष्ट उत्पादों के लिए विशिष्ट एजेन्सी को यह काम सौंपा जाए। यह मुमकिन है कि सभी उत्पादों की सम्पूर्ण निगरानी न हो पाए, पर कोशिश होनी चाहिए कि अधिकतम एपीएमसी मंडी हो या किर व्यापार–क्षेत्र, सभी जगह सेस/फीस और निगरानी की कृषि उत्पादों को निगरानी के दायरे में रखा जाए। समान व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा, सारे व्यापार मंडी के बाहर चले जाएंगे। लाइसेंस धारी व्यापारी पहले खिसक लेंगे।

- एक केंद्रीय क़ानून हो सकता है बशर्ते उसमें इसकी गुंजाइश हो कि राज्य सरकारें अंतर्राज्यीय व्यापार को नियंत्रित करने और फीस वसूलने जैसे ज़रूरी काम कर सकें। अंतर्राज्यीय व्यापार का प्राधिकार केंद्र सरकार के पास हो सकता है। किसी वस्तु की मात्रा और मूल्य की एक निर्धारित सीमा से अधिक के व्यापार के लिए और अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी हो। यह लाइसेंस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी किए जाने वाले लाइसेंस के जैसा भी हो सकता है। बड़े व्यापारी अगर चाहें तो मंडी के आढ़तियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं और इस वजह से उन पर ज़्यादा सख़्ती से नज़र रखने और नियंत्रण करने की ज़रूरत है।
- किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के लिए कीमतों की जानकारी बेहद ज़रूरी है। दरअसल, नीति–निर्धारण, पारदर्शिता और नियंत्रण व्यवस्था के लिए आँकड़ों को जमा करने वाले ढाँचे की बहुत ज़रूरत है।
- सभी तरह के शोषणकारी व्यवहार के लिए शिकायत निवारण, जुर्माने और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना काफी नहीं है।
- एफपीओ को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखा जाए – यह किसानों के संगठन के अंदर किसानों की आंतरिक व्यवस्था है, इसमें सरकारी दख़ल अंदाज़ी सही नहीं है। हाँ, यह ज़रूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े कारोबारी या कम्पनियाँ किसी एफपीओ को हड़प न सकें। साथ ही किसान की परिभाषा से एफपीओ को बाहर किया जाए।
- व्यापारी और व्यापारी के बीच की लेनदेन को इस विनियमन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- सरकार को एक राष्ट्रीय स्पॉट इक्सचेंज का विकास करना चाहिए जिसके तहत सभी ई–व्यापार प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ा जाए और उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार पर नज़र रखी जाए ताकि वहाँ शोषण और अपारदर्शिता पर रोक लगाई जा सके।
- 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर सरकार को एक कानून में ही ऐसे प्रावधान करने चाहिए ताकि
  - स्थानीय खाद्य योजनाओं से जुड़े विभिन्न उत्पादों की अधिकतम ख़रीद सुनिश्चित हो सके,
  - पिछड़े इलाकों और लघु एवं सीमांत

किसानों की सहायता के लिए ऋण–व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके

– बीमा सुरक्षा और फसल क्षतिपूर्ति की गारंटी हो सके, और

– एफपीओ भी बाज़ार में एक मजबूत दावेदार बन सकें।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

**कृषि कार्यों के सतत और समग्र कृषि या आशा-किसान स्वराज नेटवर्क मूल्यांकन के लिए एक संधि:**

# आवश्यक वस्तुओं अधिनियम (संशोधन) बिल 2020

**सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर:** संशोधन के ओजस्वी कारण किसानों की आय में वृद्धि कर रहे हैं और एक पूर्वानुमेय सेटिंग में कटाई के बाद कृषि बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, जो ईसीए 1955 के लगातार तदर्थ आदेशों को स्पष्ट रूप से खतरे में डाल रहे हैं।

**क्या किसानों को यहां आमंत्रित किया गया है?**

प्रस्तावना कहती है कि उद्देश्य "किसानों की आय बढ़ाना" है, लेकिन ईसीए (ECA) अधिनियम किसानों या उनकी आय के बारे में कभी नहीं था। किसानों या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर ईसीए के तहत स्टॉक रखने और उसे बेचने से कोई प्रतिबंध नहीं था।

कृषि व्यवसाय कंपनियों और व्यापारियों पर प्रतिबंध था। अब, उन प्रतिबंधों को सभी खाद्य वस्तुओं के लिए हटा दिया जा रहा है, इसलिए यह उन्हें किसी भी मात्रा को खरीदने और संग्रहीत करने के लिए देता है, इसलिए जमाखोरी में लिप्त हैं।

बड़ी कंपनियों को अब खाद्य वस्तुओं की किसी भी राशि का स्टॉक करने की स्वतंत्रता होगी (यह स्वतंत्रता केवल किसानों और अब तक एफपीओ के साथ थी)। वे विशाल भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करेंगे, और पूर्ण बाजार वर्चस्व का निर्माण करेंगे। इसका मतलब यह है कि वे किसानों के लिए शर्तों को निर्धारित करेंगे। जिससे किसानों को कम कीमत मिलने की संभावना है, अधिक आय नहीं।

यह स्थापित किया गया है कि जब खुदरा बाजार में मूल्य वृद्धि होती है, तो लाभ किसानों को पारित नहीं किया जाता है, लेकिन जब कीमत में गिरावट होती है, तो नुकसान किसानों को दिया जाता है।

**सरकार ने हाल ही में जमाखोरों और बड़े कारोबारियों की अपेक्षा छोटे नागरिकों के हित की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को संक्षिप्त करा है**

***किसानों के लिए***

इस अधिनियम के कारण कोई अतिरिक्त स्वतंत्रता नहीं। उनकी धारण क्षमता (भंडारण और वित्त) में कोई बदलाव नहीं। एफपीओ

बनाम एग्रीबिजनेस सहित सौदेबाजी की क्षमता को कम करता है। एग्रीबिजनेस द्वारा बाजार का वर्चस्व किसान की कीमतें कम कर सकता है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता बनाने में मदद नहीं मिली है, यह बड़ी कृषि कंपनियों के लिए सब कुछ छोड़ देता है।

ECA के पहले संस्करण में सरकार के पास कई नियामक उपकरण हुआ करते थे। लाइसेंसिंग, मूल्य नियंत्रण, अनिवार्य लाइसेंसिंग, स्टॉकिंग, सूचना संग्रह और निरीक्षण रिकॉर्ड के लिए उत्पादन, परिसर और जब्ती खोज / परीक्षा आदि। अब इसे फेंका जा रहा है।

अब, खाद्य सामग्री की आपूर्ति नियमन केवल 'असाधारण परिस्थिति' के तहत। युद्ध, अकाल, अतिरिक्त–साधारण मूल्य वृद्धि, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा और केवल स्टॉक लिमिट लगाने का भी एक निश्चित मूल्य वृद्धि के आधार पर ही। अब जब बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि हुई है या गैर.टिकाऊ खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन–सा मूल्य और कहां है, साथ ही कब और कैसे इस तरह के डेटा को बनाए रखा जाएगा जब संदर्भ अब 'मूल्य पिछले 12 महीनों में प्रचलित है या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य'।

यहां तक कि खाद्य सामग्री के लिए रखे गए नियामक प्राधिकरण के बहुत सीमित दायरे में भी छूट दी गई है। विनियमन की गैर–प्रयोज्यता प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को प्रसंस्करण की उनकी स्थापित क्षमता के भीतर है या निर्यात की मांग है। यह निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है कि कैसे नकली मांग पैदा होने पर निर्यात मांग की जांच की जाएगी और पुष्टि की जाएगी।

नीति कार्रवाई के लिए अलग–अलग खाद्य सामग्री के देश में स्टॉक की अदृश्यता के आसपास एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा, अब पंजीकृत गोदामों और निजी खिलाड़ियों के बीच अलग–अलग नियामक नियम लागू हैं। व्यापार और खाद्य सहायता नीतियों के लिए निहितार्थ स्पष्ट हैं, जब सरकार के पास खाद्य स्टॉक की जानकारी नहीं है, वह कहां मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, क्या मात्रा में हैं आदि।

## सरकार को क्या करना चाहिए था

उद्देश्य को सटीक और पारदर्शी रूप से बताएं, कि यह भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में फसल के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के बारे में असत्यापित और असंबंधित दावों में नहीं है।

सुनिश्चित करें कि 'अतिरिक्त–सामान्य परिस्थितियां' जो विनियमन के लिए न केवल चार सूचीबद्ध पर अन्य स्थितियों को भी कवर करने की अनुमति देती हैं, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी खरीदार के गैर–प्रतिस्पर्धी व्यवहार को भी एक अतिरिक्त–सामान्य परिस्थिति माना जाता है, जैसे 'अनुचित और असामान्य जमाखोरी' को भी एक माना जाना चाहिए! इन मामलों पर राज्य का नियामक दायित्व कैसे समाप्त किया जा सकता है?

सुनिश्चित करें कि विनियमन के विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं और न केवल स्टॉक सीमा (मूल्य नियंत्रण, अनिवार्य बिक्री, आंदोलन नियंत्रण), वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन के कुछ वर्गों को विनियमित करना। ऐसा इसलिए ताकि सबसे कमजोर नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

RNI No. 831/1957 प्रकाशन की तिथि : 1 जनवरी, 2021
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. तारीख 4 एवं 5, जनवरी 2021
U(C)-92/2021-23

सुनिश्चित करें कि मूल्य ट्रिगर जो नियमन की अनुमति देते हैं, वे किसी इलाके के लिए विशिष्ट हैं, और मूल्य वृद्धि की एक निचली श्रेणी के लिए विशिष्ट हैं ताकि वे वास्तव में उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हों।

सुनिश्चित करें कि किसी दिए गए इलाके में मौजूदा व्यवस्था के आधार पर नियामक शक्तियां अंतर हैं, जिसका मतलब है कि किसी इलाके में होने वाले इस तरह के अंतर और बारीक दृष्टिकोण के लिए जिला स्तर की मैपिंग या किसी चीज की जरूरत है।

सुनिश्चित करें कि नियामक प्राधिकरण पर्याप्त सूचना द्वारा समर्थित है, कुछ रिकॉर्ड के अनिवार्य रखरखाव और ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से सरकार को प्रस्तुत करने के आधार पर, विशेष रूप से पूरे देश में खाद्य सामग्री की वास्तविक समय की स्टॉक स्थिति।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

**भारत कृषक समाज**
**आपका अपना संगठन है**
**आजीवन / परिवार आजीवन**
**सदस्य बनकर**
**समाज को सबल बनाएं**

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।